न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 52 / 2016

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 रूघवीरदान उम्र 46 वर्ष पुत्र फतेहदान जाति चारण निवासी ग्राम धाननी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सांवरमल पुत्र अर्जुनराम उम्र 41 वर्ष जाति मेघवंशी निवासी ग्राम धाननी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

2 सवाईदान उम्र 49 वर्ष पुत्र फतेहदान जाति चारण निवासी ग्राम धाननी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

3 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

4 प्रभुदान उम्र 36 वर्ष पुत्र फतेहदान जाति चारण निवासी ग्रमा धाननी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 24.05.16 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बाबत
मु0 नं0 05/2015 आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए
आर.टी.एक्ट बउनवानी रूघवीरदान
बनाम सांवरमल अ.धा. 225 आर.टी.एक्ट

उपस्थित

1. श्री अमीलाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अशोक कुमार अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री राजकुमार राड़ अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–05.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 05/2015 में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 163/3 तन ग्राम धाननी में से 12 फिट चौडे रास्ते की मांग की। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नही है अपीलांट द्वारा चाहा गया रास्ता ही एक मात्र विकल्प है विचारण न्यायालय ने इस पर गौर नही कर सरसरी तौर पर आवेदन खारिज कर दिया है जो विधि विरूद्व है अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि रूपान्तरित हो चुकी है कदिमी रास्ते पर धारा 251ए लागु नही होती है दो वैकल्पिक रास्ते पहले से मौजुद है खसरा नम्बर 163/3 में मकानात बने हुये है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के विपरित विचारण न्यायालय में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। जबकि ऐसे प्रकरणों में तहसीलदार अथवा आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौका रिपोर्ट लिये जाने का प्रावधान है। विधिक प्रावधानों के विपरित होने से विचारण न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के अनुसार गुणावगुण पर पुन निस्तारण हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.12.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/11/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर